

I/15054/2021

E-Mail

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 01/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)-01/2021.....

प्रेषक,

जय सिंह, मा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

**समाहर्ता,**  
दरभंगा, शेखपुरा, जमुई, सिवान, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गोपालगंज,  
शिवहर, सीतामढ़ी, बाँका, मधुबनी, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज,  
सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय,  
मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, नालन्दा, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा,  
वैशाली (हाजीपुर) एवं समस्तीपुर।

पटना, दिनांक :-

विषय :- राज्य के विभिन्न अंचलों में अधिष्ठापित प्लॉटर मशीनों के संचालन हेतु आवंटन निर्गत करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों के अंचलों में अधिष्ठापित प्लॉटर मशीनों के संचालन (मरम्मत एवं मानचित्र मुद्रण) हेतु मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत ईकाई कोड- 13 01 विषय **कार्यालय व्यय मद** में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि उपलब्धता के आधार पर तत्काल कुल **72,00,000/- (बहत्तर लाख)** रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	अंचल का नाम	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	दरभंगा	सदर अंचल, दरभंगा	200000	400000
		अंचल, बेनीपुर	200000	
2	शेखपुरा	सदर अंचल, शेखपुरा	200000	
3	जमुई	सदर अंचल, जमुई	200000	
4	सिवान	सदर अंचल, सिवान	200000	
5	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	सदर अंचल, मोतीहारी	200000	
6	गोपालगंज	सदर अंचल, गोपालगंज	200000	
7	औरंगाबाद	सदर अंचल, औरंगाबाद	200000	
8	शिवहर	सदर अंचल, शिवहर	200000	
9	सीतामढ़ी	सदर अंचल, सीतामढ़ी	200000	

I/15054/2021

-2-

क्र०सं०	जिला का नाम	अंचल का नाम	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
10	बाँका	सदर अंचल, बाँका	200000	
11	मधुबनी	सदर अंचल, मधुबनी	200000	400000
		अंचल, झंझारपुर	200000	
12	मुंगेर	सदर अंचल, मुंगेर	200000	
13	भागलपुर	सदर अंचल, जगदीशपुर	200000	
14	पूर्णियाँ	सदर अंचल, पूर्णियाँ	200000	
15	अररिया	सदर अंचल, अररिया	200000	
16	किशनगंज	सदर अंचल, किशनगंज	200000	
17	छपरा (सारण)	सदर अंचल, सारण (छपरा)	200000	
18	मुजफ्फरपुर	सदर अंचल, मुसहरी	200000	
19	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	सदर अंचल, बेतिया	200000	
20	कटिहार	सदर अंचल, कटिहार	200000	
21	बेगूसराय	सदर अंचल, बेगूसराय	200000	
22	लखीसराय	सदर अंचल, लखीसराय	200000	
23	मधेपुरा	सदर अंचल, मधेपुरा	200000	400000
		अंचल, उदाकिशनगंज	200000	
24	सुपौल	सदर अंचल, सुपौल	200000	
25	सहरसा	सदर अंचल, कहरा	200000	
26	खगड़िया	सदर अंचल, खगड़िया	200000	
27	नालन्दा	सदर अंचल, बिहारशरीफ	200000	
28	गया	सदर अंचल, गया	200000	
29	जहानाबाद	सदर अंचल, जहानाबाद	200000	
30	अरवल	सदर अंचल, अरवल	200000	
31	नवादा	सदर अंचल, नवादा	200000	
32	वैशाली (हाजीपुर)	सदर अंचल, हाजीपुर	200000	
33	समस्तीपुर	सदर अंचल, समस्तीपुर	200000	
<b>कुल योग :-</b>			<b>72,00,000</b>	

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 02 (10) दिनांक 11.10.2021 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- राज्यादेश के आलोक में शेष राशि पुनः आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त जिलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

-3-

6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

Signed by Jai Singh

Date (जय सिंह) 21 15:37:01

Reason Approved

भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना,
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा),
3. सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. संबंधित अपर समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।